तत्काल प्रकाशन / प्रसारण के लिए

पीआर/1000 **13 फरवरी 2009**

महाराष्ट्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक को बिक्री कर संग्रहण हेतु अधिदेश

मुंबई, 13 फरवरी 2009 : आईडीबीआई बैंक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से अपनी ओर से बिक्री कर प्राप्त करने का अधिदेश दिया गया है. 16 फरवरी 2009 से यह सुविधा बैंक के मौजूदा ग्राहकों तथा अन्य करदाताओं को उपलब्ध होगी. इस अधिदेश से आईडीबीआई बैंक को अपने शाखा नेटवर्क के जरिए मूल्य योजित कर (वैट), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, बम्बई बिक्री कर, व्यवसाय कर, वाहनों पर प्रवेश कर, पेट्रोलियम गन्ना क्रय कर पर प्रवेश शुल्क, होटलों पर विलासिता कर आदि स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है.

करदाता एक चालान और आईडीबीआई बैंक चेक / काउंटर पर नकदी जमाकर आईडीबीआई बैंक की शाखाओं में भुगतान कर सकते हैं

आईडीबीआई बैंक महाराष्ट्र राज्य में प्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के संग्रहण में पहले से ही एक अग्रणी बैंक है और यह अधिदेश बैंक के ग्राहकों को इस सुविधा का उपयोग करने में भी समर्थ बनायेगा.

आईडीबीआई बैंक के बारे में

आईडीबीआई बैंक एक यूनिवर्सल बैंक है जो एक श्रेष्ठ कोर बैंकिंग सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहा है. इससे बैंक अपनी 506 शाखाओं तथा 877 एटीएमों के जरिए अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत बैंकिंग सेवाएं तथा वित्तीय समाधान प्रदान करने में सक्षम रहा है. 31 दिसंबर 2008 को बैंक के तुलन पत्र का आकार 1,45,623 करोड़ रुपये था. वित्तीय वर्ष 2009 के पहले नौ महीनों के दौरान आईडीबीआई बैंक के परिचालनों से 545 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ है. 31 मार्च 2008 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नई पीढ़ी के इस सरकारी बैंक ने 729 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है.

प्रिंट, तार तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के सभी प्रतिनिधि